न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 92/2017 **दायरा दिनांक : 19.06.2017**

उनवान

1— श्यामलाल आयु 55 वर्ष पुत्र श्री औंकारलाल

2— हलकूराम आयु 50 वर्ष पुत्र श्री औंकारलाल

3— जगदीश आयु 48 वर्ष पुत्र श्री औंकारलाल

4— गोविन्द आयु 45 वर्ष पुत्र श्री औंकारलाल

5— चिरांजीलाल आयु 42 वर्ष पुत्र श्री औंकारलाल

6— शिवनारायण आयु 40 वर्ष पुत्र श्री औंकारलाल जाति लोधा

निवासीगण सेवनखेडी तह0 छबडा जिला बारां राज0

.... अपीलांट

बनाम

1— बुधा पुत्र अमरा

2— बदरी पुत्र अमरा

3— रघुनाथ पुत्र अमरा

4— मीराबाई पुत्र अमरा

5— तिजू पुत्र अमरा जातिगण चमार निवासीगण मोहम्मदपुर (पीलीढाई)

तह0 छबडा जिला बारां राज0

6— राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार सा0 तह0 छबडा जिला बारां राज0

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री बालमुकन्द गूजर अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री नरेन्द्र कुमार सोमानी अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 07.02.2018**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, छबडा के प्रकरण संख्या – 160/2012 निर्णय व डिक्री दिनांक 01.06.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांटगण ने रेस्पोडेंटगण के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 188, 89, 91, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम बोरखेडी, तहसील छबडा में खाता संख्या 32 में खसरा नम्बर 76/2 रकबा 10 बीघा 3 बिस्वा आराजी स्थित है । आराजी राजस्व रेकार्ड में बुधा, बदरी, रघुनाथ पुत्र अमरा, मोरबाई पुत्री अमरा, तीजू बेवा अमरा के नाम दर्ज है । परन्तु इस आराजी पर गत 40 वर्ष से वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है । इस आराजी को वादीगण के पिता ने प्रतिवादीगण के पिता और प्रतिवादिया नम्बर 5 के पति अमरा से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था तब से इस पर बहैसियत मालिक वादीगण का कब्जा चला आ रहा है । औंकार काफी बीमार थे इस कारण तहसील जाने में असमर्थ थे जब वह स्वस्थ्य हुए तो अमरा बीमार हो गया इस कारण नाम परिवर्तन की कार्यवाही नहीं की जा सकी । प्रतिवादीगण के मद में बेईमानी आ गयी है । राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज होने के कारण आराजी को पुनः प्राप्त करने की

कोशिश में लगे हुए हैं । अतः दावा वादीगण स्वीकार कर वादीगण को वादग्रस्त आराजी का खातेदार कृषक घोषित किया जाये और प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाये कि वादीगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप न करें । अधीनस्थ नयायालय ने दिनांक 01.06.2017 को दावा वादीगण खारिज किया है और प्रतिवादीगण का काउंटर क्लेम स्वीकार किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना विधिक सुनवायी करते हुए लोक अदालत में बिना अपीलांट की उपस्थिति के अपीलांट के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की और रेस्पोडेंट के पक्ष में डिक्री पारित की है । वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट के पिता का अपने पूर्वजों के समय से कब्जा चला आ रहा है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये वादी अपीलांटगण का दावा खारिज किया है और प्रतिवादीगण का काउंटर क्लेम स्वीकार किया है । अपीलांट को सुनवायी का अवसर प्रदान नहीं किया है । पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का राजीनामा नहीं हुआ था । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेंटगण के खाते की है जिस पर अपीलांटगण को कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं हे । रेस्पोडेंट अनुसूचित जाति के सदस्य हैं जिनके खाते की आराजी अपीलांटगण के खाते में दर्ज नहीं की जा सकती है निर्णय विधि सम्मत है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 01.06.2017 को लोक अदालत में प्रकरण का निस्तारण किया है । लोक अदालत में वादी उपस्थित नहीं हुए हैं और प्रतिवादीगण में से सिर्फ बुधा पुत्र अमरा उपस्थित हुआ है और उसी दिन दावा वादी खारिज कर प्रतिवादी का काउंटर क्लेम स्वीकार कर वादीगण के खिलाफ बेदखली की डिक्री पारित की गई है। न तो समस्त पक्षकारान लोक अदालत में उपस्थित हुए थे और न ही उनके द्वारा कोई विधिक राजीनामा पेश किया गया था । लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिसमें उभयपक्ष ने उपस्थित होकर कोई विधिक राजीनामा पेश किया हो इसके अभाव में सी पी सी के प्रावधानों के अनुसार उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर तनकीवार निर्णय पारित किया जाना आवश्यक होता है । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.06.2017 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि कायम की गई तनकीयात की साक्ष्य के अनुसार विवेचना कर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.04.2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 07.02.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा